कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल।

क्रमांक 4099 /एम.सी./4/ राज/2019 भोपाल, दिनॉक 29 /10/2019

// विज्ञप्ति//

म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–2017/1/55 दिनांक. 12/01/2018 मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अर्न्तगत स्वाशासी संस्था गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन निम्नलिखित विभागों में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति पदोन्नति /सीधी भर्ती द्वारा की जाना है। आवेदन करने की पात्रता केवल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत उन्ही चिकित्सको को होगी जो शासन /एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित आहर्ताओं की पूर्ति करते हो।

विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.gmcbhopal.net पर उपलब्ध है। साक्षात्कार की तिथि एवं योग्य उम्मींदवारो की सूची गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की website पर उपलब्ध कराई जावेगी इस हेतु website का समय–समय पर अवलोकन करे।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 08/11/2019 सायं 5:00 बजे तक अधिष्ठाता कार्यालय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में जमा कर सकते है।

प्राध्यापक (वेतनमान 37400–67000+10000 ग्रेड पे)

क्र	विषय	सीधी भर्ती हेतु				पदोंन्नति/सीधी भर्ती			रिमार्क
		UR	ST	SC	OBC	UR	ST	SC	
01	दन्तरोग	–	–	–	–	01	–		
02	ई.एन.टी.	–	–	–	–	01	–		
03	नेत्र रोग	–	–	–	–	–	01		
04	यूरो सर्जरी	–	–	–	–	01	–		
05	नेफ्रोलॉजी	–	–	–	–	01	–		
06	मानसिक रोग	–	–	–	–	01	–		
	कुल पद	0	0	0	0	05	01	0	**कुल योग 06**

सह–प्राध्यापक (वेतनमान 37400–67000+9000 ग्रेड पे)

क्र	विषय	सीधी भर्ती हेतु				पदोंन्नति/सीधी भर्ती			रिमार्क
		UR	ST	SC	OBC	UR	ST	SC	
01	फिजियोलॉजी	–	–	–	–	–	01	–	एस.टी. का पद 07 बार विज्ञापित
02	सी.टी. सर्जरी	–	–	–	–	01	–	–	अनारक्षित का पद 05 बार विज्ञापित
03	बायोकेमेस्ट्री	–	–	–	–	–	01	–	एस.टी. का पद 05 बार विज्ञापित
04	कार्डियोलॉजी	–	–	–	–	–	01	–	एस.टी. का पद 05 बार विज्ञापित
05	पी.एस.एम.	–	–	–	–	–	01	–	
06	दंत रोग	–	–	–	–	01	–	–	
07	यूरो सर्जरी	–	–	–	–	01	–	–	
	कुल पद	–	–	–	–	03	04	00	**कुल योग 07**

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग UR = सामान्य वर्ग, पदों की संख्या अधिक /कम की जा सकती है।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

Ad for Post/2018

5.5 विवाह/अनुशंसा – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामास्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करें।

6. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा ओर ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लेना होगा।

7. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

8. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता हे और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

9. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

10. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

11. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :–** स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मे आवेदन पत्र दिनांक 08/11/2019 को सांय 05:00 बजे तक जमा कर सकते है।
आवेदन पत्र डाक द्वारा, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मे पदोन्नति/सीधीं भर्ती द्वारा पदों की पूर्ति संबंधित आवश्यक विवरण :–

1. वेतनमान – नियमित नियुक्ति हेतु
   - प्राध्यापक – 37400–67000+10000 ग्रेड पे
   - सह प्राध्यापक – 37400–67000+9000 ग्रेड पे

टीप– राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. आयु सीमा न्यूनतम
   - प्राध्यापक – 35 वर्ष
   - सह प्राध्यापक – 30 वर्ष

टीप – आयु की गणना 01/01/2020 को आधार मानकर की जावेगी।

3. अर्हतायें :–

प्राध्यापक पद के लिए

अ. संबंधित विषय में और टी.ई.क्यू. (T.E.Q.) विनियामवली के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एम.डी./एम.एस./एम.सी.एच. शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

ब. प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप में सह प्राध्यापक के कार्यकाल के दैरान न्यूनतम दो अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संचयी आधार पर सूचीबद्ध जर्नल में 04 अनुसंधान प्रकाशनो के साथ किसी अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 03 वर्ष के लिए संम्बन्धित विषय में सह प्राध्यापक के रूप में कार्य का अनुभव।

सह–प्राध्यापक पद के लिए

अ. संबंधित विषय में और टी.ई.क्यू.(T.E.Q.) विनियमावली के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता एम.डी./एम.एस./एम.सी.एच. शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

ब. प्रथम लेखक के रूप में या तदनुरूपी लेखक के रूप मं सूचीबद्ध जर्नलों में 02 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ किसी अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 04 वर्ष के लिए संबंधित विषय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य का अनुभव।

4. पदों पर आरक्षण :– राज्य शासन के द्वारा समय – समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी, जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

5. निरर्हतायें :–

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा– किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
13. अपूर्ण आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजो की सत्यापित प्रति संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

महत्वपूर्ण टीपः– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताये और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अर्हताए पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगीं। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया हैं। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगीं।

24/10/18

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल।

आवेदन का प्रारूप

....के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र (अंतिम तिथि ...... / .... / 2019)

फोटो

स्वप्रमाणित

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा नीली स्याही वाले पेन से पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का नाम..

2. पुरूष / महिला..

3. पिता / पति का नाम (उप नाम सहित)..

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित)..

....

शहर का नाम–..फोन नंबर..

मोबाइल नंबर–..ईमेंल आइडी..

5. स्थायी पता–..

....

शहर का नाम–..फोन नंबर–..

6. आधार कार्ड नंबर (हो तो)–..

7. जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची संलग्न करें)–..

8. दिनांक 01 / 01 / 2020 को आवेदक की आयु–..............................दिन......................माह..............................वर्ष........................

09 आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित / अविवाहित..

10. वर्ग अनारक्षित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग–..

(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

11. मेडीकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं नाम :–..

क्र.	डिग्री	रजिस्ट्रेशन नंबर	दिनांक	मेडिकल कौंसिल का नाम
1	एम.बी.बी.एस			
2	एम.डी. / एम.एस.			
3	डी.एम / एम.सी.एच.			
4	एम.एस.सी. / पी.एच.डी.			

12. शैक्षणिक योग्यताऐं :– (प्रमाण– पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MBBS						
2	MD/MS						
3	DM/MCh						
4	M.Sc./Ph.D						

13. शैक्षणिक अनुभव :–

क्र.	पदनाम	संस्था	अवधि		
			वर्ष	महीने	दिन
1	प्राध्यापक				
2	सह प्राध्यापक				
3	सहायक प्राध्यापक				
4	ट्यूटर / प्रदर्शक / एस. आर.				

14. रिसर्च पब्लिकेशन :–

क्र.	पदनाम	विभिन्न पदस्थापनाओं के दौरान रिसर्च पब्लिकेशन की संख्या
1	प्राध्यापक	1. 2. 3.
2	सह प्राध्यापक	1. 2. 3.
3	सहायक प्राध्यापक	1. 2. 3.

15. अन्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यताएँ :–

....

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान...

दिनांक...

/ /घोषणा–पत्र/ /

- मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र / नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और नह ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर